

01/6/23

पञ्जावली वकील शायी व स्वयं शायीया के  
 प्राठपत्र पर शिवाह से तलब की गई व्यक्ति  
 केम्प को ही नारिणी पेश हुई। एकदण  
 में शायी ने प्राठपत्र प्रत्युत्तर निवेदन दिया कि  
 शायीया व पिपझीगाव के मध्य लोक अदालत  
 की भाषना से आपकी दलीलागत ही जानें से  
 शायीया उक्त एकदण में सब कोई कार्रवाही  
 नहीं चाहने का निवेदन दिया। एकदण में  
 उपस्थित एल्लोपेजट का मनन किया बहम रुकी  
 गई। एकदण में शायीया व वकील शायी स्वयं  
 कोई कार्रवाही नहीं चाहने से शायीया के  
 शायीया पत्र की कार्रवाही नहीं चाहने से  
 शायीया का प्राठपत्र ही इन्ही त्तर पर समाप्त  
 किया जाता है। पञ्जावली के तलब क्रमर होकर  
 उक्त नम्बर से कम ही एकदण में पूर्व में  
 जपी एत पञ्जावली अस्थाय निवेदास्ता दिनांक  
 21/02/2023 को स्वर, निरकर माना जावे।

विनू  
 Bakshi  
 Mr.

एन.ए. अधिकारी  
 कोडा